दिनांक12.05.2017 को उपायुक्त, गोड्डा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा की बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति: पंजी के अनुसार।
2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभी माननीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारीगण तथा तकनीकी एवं कानूनी पहलू पर विवेचना हेतु लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक(विशेष आमंत्रित सदस्य) का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।
3. श्री ताला मरांडी, माननीय विधायक, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के द्वारा गत बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4 पर आपत्ति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी एवं चर्चा उपरांत कार्यवाही की कंडिका–4 को सर्वसम्मति से विलोपित करने का निर्णय लिया गया। माननीय की आपत्ति के कारण अगली बैठक में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा की अध्यक्षता में अंचलाधिकारियों की समिति द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा)

4 माननीय विधायक श्री अमित कुमार मंडल द्वारा खनन एवं इससे संबंधित गतिविधियों से प्रभावित 150 ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी गई जिसकी समीक्षा कराकर उक्त सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :–अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा)

5. माननीय विधायक श्री ताला मरांडी द्वारा DMFTअंशदान को प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र योजना में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप खर्च करने की बात कही गई। उपायुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा सरकारी अधिवक्ता से अंशदान की राशि के व्यय के संबंध में आगामी बैठक में कानूनी प्रावधान के आलोक में लिखित प्रतिवेदन/मंतव्य देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सरकारी अधिवक्ता, गोड्डा)

6. बैठक में निम्नांकित योजनाओं का प्रस्ताव पारित किया गया :–

i. बोआरीजोर एवं सुन्दरपहाड़ीप्रखंड में पेयजल हेतु 150.00 लाख की दर से कुल 300 लाख तथा शेष सात प्रखंडों में 100.00 लाख की दर से कुल 700.00 लाख,इस प्रकार कुल 1000.00 (दस करोड़) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा को पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करने (जिसमें योजना बनाओ अभियान के तहत ग्राम सभा से चयनित चापाकल मरम्मति, चापाकल का अधिष्ठापन योजनाओं तथा HYDT, Riser Pipe का क्रय एवं Reverse Rooted Water System से पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन) हेतु राशि उपलब्ध कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सभी माननीय सदस्यों से 15.05.2017 तक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(अनुपालन :–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,गोड्डा जिला/निदेशक, लेखा प्रशासन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा।)

7. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं पर ग्राम सभा से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया। यह कार्य तत्काल में कराने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

(अनुपालन :–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, गोड्डा/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला।)

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

माननीय सांसद प्रतिनिधि, गोड्डा लोक सभा क्षेत्र।	माननीय सांसद प्रतिनिधि, राजमहल लोक सभा क्षेत्र।	माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, गोड्डा।	माननीय विधायक बरहेट, वि0स0क्षेत्र।
माननीय विधायक, महागामा वि० स०क्षेत्र।	माननीय विधायक बोरियो वि० स० क्षेत्र।	माननीय विधायक, गोड्डा वि० स०क्षेत्र।	वन प्रमंडल पदाधिकारी –सह– सदस्य, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।
जिला शिक्षा पदा०–सह– सदस्य,जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।	सहायक खननपदा०–सह– सदस्य, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– सदस्य, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।	पुलिस अधीक्षक –सह– सदस्य, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।
			उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट,गोड्डा।

ज्ञापांक 266 / गोड्डा, दिनांक – 17/05/2017

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी माननीय सदस्यों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा।

Scanned by CamScanner